

रिपोर्ट पटवारी हस्ता/आईओएसआरओ
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार राजस्व ग्राम सिंगनौर की जमाबंदी संख्या 2075-78 के खाता सं. 584 में आवेदक का नाम बुद्धराम पुत्र गजु देव है जो जगत है। आवेदक के राजस्व माफ़ मातदाता पहचान पत्र में बुद्धराम पुत्र गिरधारी लाल देवी है। अतः प्रार्थी का नाम पहचान दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार बुद्धराम पुत्र गिरधारी लाल सुद्ध किया जाने देव प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

29/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंयुनु (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 9/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, सत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है।)
1	सिंगनौर	2075-78	584	बुद्धराम पुत्र गजु	बुद्धराम पुत्र गिरधारी लाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्र.सं. :- राजस्व/2020/905-906

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी दिनांक 11-2

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तु पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी